

**बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(योजना)-16/2016 18 (बजट) / खाद्य, पटना-15, दिनांक- 20.08.2026
प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी
निदेशक-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

सदस्य सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार राज्य खाद्य आयोग,
पटना, बिहार।

विषय:- मांग सं0-18, मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविलपूर्ति योजना, उपशीर्ष 0413 जन वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण, विपत्र कोड सं0-18-3456001020413, के विषयशीर्ष 0413.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 11,39,652/- (ग्यारह लाख उनचालीस हजार छः सौ बावन) रुपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि को विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-218 दिनांक-17.08.2026 के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक-926/वि0 दिनांक-31.07.2026, पत्रांक-380/वि0 दिनांक-20.04.2026 एवं पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में विपत्र कोड सं0-18-3456001020413, अन्तर्गत विषयशीर्ष 0413.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निम्न तालिका के अनुसार राशि आवंटित की जाती है :-

तालिका

विषयशीर्ष/इकाई	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आय-व्यय उपबंध/पुनरीक्षित उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3
0413.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	11,40,000	11,39,652

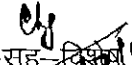
- 2 विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-218 दिनांक-17.08.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जाती है।
3. यह राशि मांग संख्या 18, मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविलपूर्ति योजना, उपशीर्ष 0413 जन वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण, विपत्र कोड सं0-18-3456001020413 के विषयशीर्ष 0413.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकलनीय होगी।

4. राशि की निकासी सदस्य सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य आयोग बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
6. आवंटित राशि से व्यय के पश्चात् अवशेष राशि को प्रत्यर्पित न कर राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रखने की कार्रवाई करेंगे ताकि अगले वित्तीय वर्ष में शेष राशि का व्यय किया जा सके। तत्पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

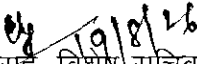
विश्वासभाजन,


निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(योजना)-16/2016 18 (बजट) / खाद्य,पटना-15, दिनांक- 20.08.2026
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(योजना)-16/2016 18 (बजट) / खाद्य,पटना-15, दिनांक- 20.08.2026
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(योजना)-16/2016 18 (बजट) / खाद्य,पटना-15, दिनांक- 20.08.2026
प्रतिलिपि:-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06/आई0 टी0 मैनेंजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक-सह-विशेष सचिव।